राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि.,

(राजस्थान सरकार का प्रतिष्ठान)

FAX :(0294)2428793,2428770; PHONE : 2428793, 2428763-67

कॉर्पोरेट कार्यालय, 4 मीरा मार्ग, उदयपुर

क्र.आरएसएमएम / सीओ / एडीएम / निविदा / 2 / 2015–16 / 455 दिनांक : 17.06.2015

निविदा नियम एवं शर्ते :–

1. राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. 4 मीरा मार्ग, उदयपुर के कॉर्पोरेट कार्यालय में केन्टिन (जल पान गृह) चलाने हेतु मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

(1) निविदा प्रप़त्र प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करे हुए एवं वांछित धरोहर राशि (रू.24,000/–)का डिमाण्ड ड्राफट /नगद जमा कराने की रसीद की फोटो कापी संलग्न करनी होगी।

(2) कोई निकट संबंधी का आर.एस.एम.एम.एल. में नियुक्त न होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

(3) लिफाफे पर निम्न पता लिखना होगा।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
आर.एस.एम.एम.लि.,
4, मीरा मार्ग, उदयपुर 313001

(4) लिफाफों के उपर ''निविदा क्रमांक एवं दिनांक 07.07.2015 के पूर्व न खोला जाए'' लिखा होना चाहिए।

(5) लिफाफों के उपर निविदादाता द्वारा अपना नाम व पता स्पष्ट लिखा होना चाहिए ।

2. निविदा मोहरबंद लिफाफे में जिस पर कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) आर.एस.एम.एम.एल., 4 मीरा मार्ग, उदयपुर लिखा होगा एवं दिनांक 07.07.2015 को 2.30 बजे अपरान्ह तक पहुॅच जानी चाहिए । निविदाएं उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे वरिष्ठ प्रबन्धक(प्रशासन) के कक्ष में खोली जायेगी ।

3. निविदादाता को राष्ट्रीयकृत/शीड्यूल्ड बैंक का डिमाण्ड ड्राफट 24,000/– (अक्षरे रूपय चोइस हजार मात्र) का धरोहर राशि के रूप में जो कि आर.एस.एम.एम.एल., उदयपुर के नाम से देय हो, संलग्न करना होगा । यह राशि स्वीकृत निविदाकर्ता के पक्ष में अमानत राशि के रूप में बदल दी जावेगी, जबकि असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि लौटा दी जायेगी । इस राशि पर कंपनी द्वारा कोइ ब्याज देय नहीं होगा।

4. विभाग की ओर से केन्टीन के लिये निविदाकार को केन्टीन स्थल, विद्युत, पानी व फर्नीचर निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा। अन्य सभी सामान की व्यवस्था निविदाकार को स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। केन्टीन में उपयोग होने वाली वस्तुओं को तैयार करने के लिए निविदाकार द्वारा विभागीय बिजली का उपयोग नहीं किया जायेगा। आवश्यक होने पर विद्युत का उपयोग विभाग की पूर्व अनुमति से अन्य कार्य के लिए किया जाता है, तो कम्पनी द्वारा सब मीटर लगाया जायेगा एवं इस पर कम्पनी द्वारा वहन की जाने वाली दर से विद्युत का प्रतिमाह भुगतान करना होगा ।

5. निविदाकार के अधीन कर्मचारियों, कारीगर अथवा अन्य कार्यरत व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से अधिक का होना आवश्यक है।

6. निविदाकार को चाहिये कि उसे अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति साफ–सुथरे व निरोगी हो। रोगी एवं सक्रमित व्यक्ति को केन्टीन/कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों का मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा जो कि आर.एस.एम.एम.एल. में कार्यरत चिकित्सक द्वारा जारी किया हुआ होगा।

7. निविदाकार के अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों को किसी दुर्घटना अथवा चोट आदि का मुआवजा अथवा अन्य किसी प्रकार का दावा व भुगतान निविदाकार को स्वयं करना होगा और विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सफल निविदादाता अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के लिऐ किसी जनरल बीमा कंपनी से ''कामगार कम्पनसैशन बीमा पॉलिसी'' जारी करायेगा जो कि पूर्ण निविदा अवधि के लिए मान्य होगी।

8. निविदाकार के अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों का व्यवहार विभागीय कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण होना आवश्यक है।

9. निविदाकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को वेतन, भत्ते अथवा अन्य भुगतान तथा किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए यह विभाग जिम्मेदार नहीं है।

10. निविदाकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के बारे में पूरी जानकारी निविदाकार स्वयं रखेंगे एवं सुरक्षा कारणों से विभाग द्वारा मांगने पर उपलब्ध कराएंगे।

11. खाद्य व पेय सामग्री बनाए जाने, रखे जाने व उपलब्ध कराई गई खाद्य सामग्री व पेय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम होना आवश्यक है।

12. निविदाकार द्वारा खाद्य/पेय सामग्री तैयार करने के लिए अच्छी किस्म का तेल, चाय, दूध इत्यादि प्रयोग में लिया जायेगा। उदाहरणार्थ :–
अ)चाय ब्रुकबाण्ड/लिप्टन/टाटा/बाघबकरी तथा इलायची एवं अदरक का उपयोग। कॉफी नेस्केफे ब्रांड।
ब) तेल – मूंगफली/सोयाबीन रिफाईन्ड उत्तम ब्राण्ड–आईएसआई मार्क/एगमार्क
स) दूध – सरस/अमूल अथवा ताजा दूध
द) बिस्किट – मेरी गोल्ड, मोनेको, पारले, ब्रिटेनिया, गुड्–डे या आईएसआई मार्क के
क)एगमार्क खाद्य सामग्री ही प्रयुक्त करनी होगी।
ग) लस्सी – अच्छे ताजा दही की।
घ) नमकीन बीकानेरी/बीकानो ''ए ग्रेड''

13. अधिकृत अनुसूची में अधिकृत सामग्री के अतिरिक्त भी निविदाकार अन्य साधारण तया उपयोग आने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थ (सिगरेट, पान गुटका, नशीले पेय पदार्थ के अलावा) कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) /वरि. प्रबंधक (प्रशासन) से अनमुति व दर स्वीकृत कराकर ही केन्टीन में उपलब्ध करा सकेगा।

14. विभाग द्वारा अनुसूची व स्वीकृत खाद्य/पेय पदार्थो की मात्रा, किस्म व दर में निविदाकार द्वारा अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार का परिवर्तन निविदा शर्तो का उल्लघंन समझा जायेगा।

15. प्रत्येक कर्मचारी को कंपनी की ओर से प्रतिदिन 3 चाय कूपन देय है। ठेकेदार प्रतिमाह कम्पनी कर्मचारियों चाय कूपन एकत्रित कर दिनांक 15 तक चाय कूपन प्रशासन विभाग में जमा कराकर

भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत कर सकेगा । कर्मचारियों को यदि निविदाकार की ओर से खाद्य व पेय पदार्थ उधार में उपलब्ध कराई जाती है, तो उस की राशि की वसूली के संबंध में वह स्वयं जिम्मेदार होंगा।

16. कर्मचारियों को प्रतिदिन दिन में तीन बार चाय 10.30 से 11.00 बजे, 2.30 से 3.00 बजे एवं सायं 4.00 से 4.30 बजे के मध्य टेबल पर वितरित करनी होगी एवं इसके अलावा समय–समय पर टेलीफोन पर मंगवाने पर भी चाय/काफी भिजवानी होगी। चाय अधिकारियों को कप प्लेट ''बोन चाईना'' एवं कर्मचारिंयों को मग ''बोन चाईना'' चाय केतली में देनी होगी । खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता की जांच कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी की जा सकेगी। प्रशासन द्वारा कोई भी अनियमितता/गुणवत्ता की कमी पाये जाने पर 200 रू. की पेनाल्टी प्रति अनियमितता/गुणवत्ता पर निविदाकार से प्रती दिन के हिसाब से ली जाएगी। समय पर चाय/काफी आदेश से 20 मीनीट में उपलब्ध नहीं करवाने पर रू.50/– कम्पनशेसन के रूप में ठेकेदार से प्रतिमाह के बिल में से काटने का अधिकार होगा (दिन में 2 बार से अधिक नहीं) । प्रबंधन द्वारा समय–समय पर दिये गये सुझाव/आदेश निविदाकार को मानने होंगे।

17. यह निविदा दो वर्ष के लिए मान्य होगी । कम्पनी के केन्टीन के सामान की संपूर्ण सुरक्षा सफल निविदाकार की होगी। किसी भी तरह की टूट–फूट होने पर उक्त सामान की पूरी कीमत ठेकेदार से वसूल की जाएगी। सफल निविदाकार के साथ विभाग एक अनुबंध भी करेगा।

18. सफल निविदादाता को सभी संसाधन स्वयं ही जुटाने होंगे एवं उक्त कार्य अन्य किसी व्यक्ति को ठेके पर नहीं देगा।

19. केंटीन प्रत्येक कार्य दिवस प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 तक खुली रखनी होगी।

20. निविदादाता अनुलग्नक–1 में अपना बायेा डाटा देंगें।

21. आर.एस.एम.एम.एल., को किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

22. अधिकारियों के कक्ष में खाद्य सामग्री या पेय आदि व्यवस्थित रूप से ट्रे में बोन चाईना कप प्लेट में भेजने होंगे। कर्मचारियों को चाय/काफी बोन चाईना मग में देनी होगी । निविदा अवधि के प्रारम्भ में प्रत्येक वर्ष में एक बार 3 दर्जन कप प्लेट एवं 8 दर्जन मग एवं 4 ट्रे विभाग द्वारा क्रय कर उपलब्ध करवायी जायेगी । टूट फूट पर निविदादाता को उसी श्रेणी की क्रोकरी क्रय कर चाय उपलब्ध करानी होगी।

23. निविदाकार द्वारा निविदा शर्तो का पूर्णरूपेण अनुपालना नहीं करने/कार्य को संतोष पूर्ण ढंग से निष्पादन नहीं करने व खाद्य/पेय पदार्थो को निर्धारित क्वालिटी न रखने पर निर्धारित कमेटी द्वारा प्रत्येक त्रृटि के लिए क्लास 17 के अनुसार क्षतिपूर्ति मासिक बिल में से कटौती की जा सकेगी ।

24. विभाग द्वारा आपको सुव्यस्थित केन्टिन के लिए स्थान, किचन, फर्नीचर पानी एवं रोशनी एवं हवा हेतु बिजली बिना कोई चार्ज दी जावेगी। इसके बदले में सफल निविदाकार विभाग को ''वित्तीय भाग '' में दी गई राशी के अनुसार किराया प्रतिवर्ष जमा करना होगा ।

25. सफल निविदाकर को निविदा स्वीकृति पत्र मिलने के 1 माह के अंदर स्वीकृत वार्षिक किराया राशि जो अदेय(नॉन रिफण्डेबल होगी) के रूप में आर.एस.एम.एम.एल., उदयपुर के नाम जमा कराकर मूल रसीद इस कार्यलय में प्रस्तुत करनी होगी । जमा नहीं कराने पर जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी ।

26. निविदा अवधि बढ़ाने पर निविदाकार को बढ़ी हुई अवधि के लिए प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त अदेय किराया राशि (नॉन रिफण्डेबल) देनी होगी।

27. निविदाकार और विभाग में दोनों के बीच उठे किसी भी मतभेद की स्थिति में कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), आर.एस.एम.एम.एल., उदयपुर का निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों के लिए बाध्य होगा।

28. निविदाकार आवेदन तिथि से निविदा निर्णय की अवधि में अपनी निविदा वापस लेता है अथवा शर्ते तथा सस्थिति में परिवर्तन करता है, तो कम्पनी उस निविदाकार की धरोहर राशि पूर्ण रूप से जब्त कर लेगी ।

29. निविदाकार अपनी प्रस्तावित दरें वित्तीय बिड में भरेंगे। किराया की राशि (प्रति वर्ष के लिए) पर अधिक/बराबर, प्रतिशत (%) के रूप में भरा जावे । किराया राशि सभी टैक्स जोड़कर ही दी जावे।

30. यदि उक्त निविदा कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का कर/सेवाकर/विक्रय इत्यादि जमा करवाने का दायित्व बनता है तो इसकी जिम्मेदारी निविदाकार की होगी एवं भुगतान स्वयं निविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा।

31. गुणवत्ता के संबंध में – चाय की क्वालिटी बाबत समिति, सदस्यों द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों की पालना करनी होगी। प्रति तिमाही समिति अपनी रिर्पोट कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेंगें।

32. कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में सुधार हेतु निवदाकार को इस संबंध में लिखित में 3 बार सूचित किया जाऐगा एवं फिर भी सुधार नहीं होने पर एक माह का अग्रिम नोटिस दिया जाकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है । कम्पनी में जमा कराई गई अमानत एवं वार्षिक किराया राशि जप्त कर ली जाऐगी एवं पुनः नहीं लोटायी जावेगी।

33. आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्त्रोत पर कटौती की जावेगी एवं निविदादाता को अपना पेन नंबर विभाग में देना होगा।

34. केंटीन नहीं खोलने के फलस्वरूप प्रतिदिन रूपये 750/–के हिसाब से पेनाल्टी के रूप में कटौती मासिक बिल में की जावेगी एवं उस दिन की गई वैकल्पिक व्यवस्था पर हुआ खर्चा भी निविदाकर्ता द्वारा ही वहन किया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी ।

35. अमानत राशी (कुल रूपये 1,20,000/–) : कार्य प्रारंभ करने से पहले रू. 60,000/–(रू. साठ हजार) धरोहर राशी रू.24,000/– के समायोजन करते हुए नगद या डिमाण्ड ड्राफट जमा करवानी होगी एवं शेष राशी 60,000/– प्रतिमाह 10,000/– रू. 6 माह तक बिलों में से कटवाई जा सकती हैं । जो कार्य के समाप्त होने के पश्चात बिना ब्याज नियमानुसार लोटा दिये जाऐंगें।

36 अनुबन्ध की प्रति संलग्न ।

निविदा की अन्य विशिष्ट शर्ते

1. निविदा में निर्धारित सभी आइटम केन्टीन में उपलब्ध होने चाहिये। जिसकी प्रशासन विभाग या समिति द्वारा समय समय पर जांच की जा सकती है।
2. निविदाकार शिकायत/सुझाव रजिस्टर केन्टिन में उपलब्ध रखेगा, जिसकी समय–समय पर जांच एवं उस पर संबंधित कार्यवाही की जायेगी। प्रशासन विभाग का निर्णय अंतिम होगा एवं निविदाकार उस निर्णय को मानने हेतु बाध्य होगा।
3. असंतोषजनक कार्य व व्यवहार की शिकायत की जांच के बाद वे यदि सही पाई गई तो रायल्टी व धरोहर राशि जब्त की जा सकती है अथवा/तथा आगामी निविदा में भाग लेने से बाधित किया जा सकता है।
4. किसी भी प्रकार के हानि/दावा/क्षतिपूर्ति जो निविदाकार अथवा उसके किसी कर्मचारी द्वारा की गई लापरवाही बनती है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
5. निविदाकार राज्य व केन्द्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन तथा अबोलेशन एक्ट, 1970) एम्प्लोयस लायबिलीटी एक्ट, 1938, वर्कमैन क्षतिपूर्ति एकट 1923, इण्ड्रस्टीयल डिस्प्यूट एक्ट, 1947 एम्प्लाइज स्टेट बीमा एक्ट 1948, पी.एफ. 1952 एवं आरटीपी.पी. एक्ट 2012 तथा अन्य संबंधित नियमों का एवं समय–समय पर संशोधन सहित, का पालन करेगा।
6. निविदाकार को आवश्यकतानुसार स्थानीय नगर परिषद् से शॉप एण्ड एस्टब्लीसमेन्ट एक्ट लाइसेन्स स्वयं लेना होगा तथा इसको कम्पनी को प्रस्तुत करना होगा। जिसकी वेधता निविदा अवधि तक होगी।
7. उक्त निविदा राजस्थान लोक उपापन में परदर्शिता अधिनियम, 2012 के एक्ट एवं नियमों के अन्तर्गत प्रभावी है ।

   बोली लगाने वाला, जो–

   (क) वित्तीय बोलियॉ के खुलने के प्श्चात् उपापन प्रक्रिया से हटता है ;

   (ख) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् उपापन प्रक्रिया से हटता है;

   (ग) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् उपापन संविदा करने में असफल होता है;

   (घ) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात बोली लगाने वाले दस्तावेजों के निबंधनों में अपेक्षित, कार्यसंपादन प्रतिभूति या कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में, वैध आधारों के बिना असफल रहता है,

   वह, बोली लगाने वाले दस्तावेजों या संविदा में उपलब्ध अवलम्ब के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास लाख रूपये या उपापन के निर्धारित मूल्य के दस प्रतिशत, जो भी कम हो, तक का हो सकेगा।

अनुलग्नक – 1

राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
4, मीरा मार्ग, उदयपुर–313 001
FAX :(0294)2428793,2428770; PHONE : 2428793, 2428763-67

1.	आर.एस.एम.एम.एल.,उदयपुर के निविदा का संदर्भ	आर.एस.एम.एम / सी.ओ / एडीएम / प्रशा. / निविदा / 2 / 2015–16 / 455 दिनांक 17..06.2015
2.	निविदादाता का पूरा नाम एवं पता मोबाइल नं0	______________________ ______________________
3.	परमानेन्ट इन्कम टैक्स नं.	
4.	धरोहर राशि (शब्दों में): रूपये 24,000 / – डिमाण्ड ड्राफट / बैकर्स चैक नंबंर व दिनांक	
5.	निकट सम्बन्धी का आर.एस.एम.एम. में नियुक्त नहीं होने का प्रमाण पत्र	

प्रमाण- पत्र

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने आर.एस.एम.एम.एल. के निविदा कमांक आर.एस.एम.एम / सी.ओ / एडीएम / प्रशा. / निविदा / 2 / 2015–16 / 455 दिनांक 17.06.2015 द्वारा जारी किये गये मूल निविदा दस्तावेज के नियम व शर्तो को पढ़ा है। उसमें उल्लेखित सभी प्रकार के नियम व शर्तो पर सहमत हूं तथा कार्यादेश मिलने पर केन्टीन सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए बाध्य रहूंगा एवं प्रतिवर्ष विभाग को एकमुश्त किराया राशि अग्रिमं भुगतान करूगां।

स्थान : उदयपुर
दिनांकः ....

अनुबन्धकर्ता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक – 2

घोषणा पत्र

मैं / हम-- पुत्र श्री------------------------------------
----------निवास---
------------------------------प्रमाणित करता / करते हैं कि कोई भी मेरे परिवार का सदस्य अथवा रिश्तेदार नीचे दी गई परिभाषा के अनुसार राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरनल्स लि. में कार्यरत नहीं है । अगर इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा घोषित उक्त सूचना किसी प्रकार से गलत प्रमाणित होती है तो कम्पनी को मेरा टेन्डर बिना किसी सूचना के निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

हस्ताक्षर निविदाकार

परिवार की परिभाषाः

1. परिवार का कोई भी सदस्य यानी स्वंय, पत्नी, पिता, माता, पुत्र ,पुत्री, है।

अनुलग्नक – 3

दर प्रपत्र

निविदाकार द्वारा दर भरने हेतु प्रपत्र –

कम्पनी द्वारा निर्धारित **न्युनतम किराया राशी रू. 10,000/– प्रतिवर्ष** है। निविदाकार को इस राशि का प्रतिशत के रूप में निम्न प्रारूप में अपनी दर देनी होगी एवं जिसकी दरें सबसे अधिक होगी उसकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर निविदा स्वीकृत की जायेगी।

मैं विभाग द्वारा निर्धारित न्युनतम किराया राशी प्रतिवर्ष रू.10,000/– एवं उसके ऊपर (अक्षरों में –––– प्रतिशत (शब्दों में ....प्रतिशत.) पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ । (कुल राशी रू.)

नोट :– निविदाकार कृपया खाली स्थान में साफ–सूथरे रूप में लिखे कि विभाग द्वारा निर्धारित किराया राशि के बराबर /ऊपर कार्य करने को सहमत है। यदि स्थान खाली छोड़ा जाता है तो निविदा मान्य नहीं होगी।

स्थान : उदयपुर
दिनांकः ....

निविदाकार के हस्ताक्षर
मय सील एवं पता
मोबाईल नं.

अनुलग्नक – 4

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि., द्वारा निर्धारित दरें ।

क.सं.	वस्तु का नाम	वजन / मात्रा प्रति इकाई	निर्धारित दर (रू. में)
1	चाय (दूध,पानी, शक्कर एवं चाय पत्ती का उचित अनुपात)	125मि.ली.	5.00
2.	काफी (दूध,पानी, शक्कर एवं काफी का उचित अनुपात)	125मि.ली.	7.50
3.	कचोरी / समोसा / आलूबड़ा / पकोड़ी (शुद्ध रिफाईन्ड मुंगफली / सोयाबीन तेल में बनी होनी चाहिए)	60 ग्राम	7.50
5.	नमकीन बीकानेरी / बीकानो अच्छी गुणवत्ता की	50 ग्राम	एम.आर.पी.
6.	बिस्कटस–पार्ले, गुड–डे, ब्रिटेनिया / बिकानेरी नमकीन आदि आईएसआई मार्क	75 / 100 / 200 ग्राम	एम.आर.पी.
7.	दही / लस्सी	200 मि.ली.	10.00
8.	छाछ	200 मि.ली.	5.00

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक – 2

(रूपये 1000/– नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम पर अनुबंध किया जावेगा)

अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक .07.2015.को राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. 4, मीरा मार्ग, उदयपुर एवं .... अनुबन्धकर्ता के मध्य कॉरपोरेट कार्यालय स्थित केन्टीन चलाने के लिए दो वर्ष की अवधि के लिये कार्य निविदा क्र. आरएसएमएम/सीओ/एडीएम/निविदा–2/15–16/455 दिनांक 17.06.2015 एवं कार्य आदेश सं. आरएसएमएम/सीओ/एडीएम/4(9)/15–16/ .... दिनांक .. ....07.2015 की शर्तो के अनुसार अनुबंध किया जाता है। अमानत राशी (कुल रूपये 1,20,000/–) कार्य प्रारंभ करने से पहले रू. 60,000/–(रू. साठ हजार) धरोहर राशी जमा करवा दी गई है एवं प्रतिमाह 10,000/– रू. अगले 6 माह तक बिलों में से कटवाये जाने के लिए तैयार है। इस राशि पर कम्पनी द्वारा कोई ब्याज देय नहीं है। अनुबन्धकर्ता प्रति वर्ष रायल्टी राशि रू ..../– (नॉन रिफण्डेबल) जमा/प्रथम बिलों में से कटवाने के लिए तैयार है।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
आर.एस.एम.एम.एल.,

अनुबन्धकर्ता हस्ताक्षर

गवाह : 1.

गवाह : 2

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का प्रतिष्ठान)
4, मीरा मार्ग , उदयपुर
FAX :(0294)2428793,2428770; PHONE : 2428793, 2428763-67

क. आरएसएमएम / सीओ / एडीएम / प्रशा / निविदा–2 / 2015–16 / 455 दिनांक 17.06.2015

केन्टिन निविदा सूचना

कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर में केन्टिन ठेके पर चलाने के लिए अनुभवी व्यक्तियों / ठेकेदारों से 2 वर्ष की समयावधि के लिए मोहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है ।

निविदा प्रपत्र संस्थान के कॉर्पोरेट कार्यालय के लेखा विभाग से रूपये 573 / –(वेट सहित) नगद जमा करवाकर दिनांक 07.07..2015 अपरान्ह 1.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र अन्तिम दिनांक को अपरान्ह 2.30 बजे तक जमा कराये जा सकते है। निविदाएं अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। बिना धरोहर राशि के निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा । निविदा का पूर्ण विवरण हमारी वेब साईट www. rsmm.com or www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।

आरएसएमएमएल के पास किसी भी या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपिः

1. नोटिस बोर्ड
2. एमआईएस को एसपीपीपी. एवं आरएसएमएमएल वेब साईट पर प्रर्दशन हेतु ।